

लाई गई। दस्तावेजी साक्ष्य में धारा 90 ए के प्रकरण की छाया प्रति जमाबन्दी नकल सम्बत 2074-2077 की प्रमाणित प्रति, एवं चालू जमाबन्दी की नकल प्रस्तुत की।

प्रकरण में राज पैरोकार की बहस सुनी गई, जिन्होंने वाद-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त भूमि को राजकीय दर्ज कर कब्जा सुपुर्द किये जाने के आदेश हेतु निवेदन किया। रिपोर्ट 90 ए कार्यवाही अनुसार ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 287 रकबा 6.59 हैक्टर में से 0.3056 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी ने बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के डिफेंस एकेडमी एवं जोधपुर के पत्थर काटने का कार्य कर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन काम में लिया है, जमाबंदी नकल सम्बत 2074-77 अनुसार निम्नवत प्रविष्टि दर्ज है :-

ग्राम का नाम :- कुचामनसिटी	अंतिम चोसला आधार सम्बत :- 2074 - 2077 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी.					
पटवार हल्का :- कुचामनसिटी	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार					
भू.अभि.नि. :- कुचामनसिटी	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर					
तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 94					
जिला :- नागौर	खाता संख्या पुराना :- 81					
काश्तकार का नाम:-						
1. कुसुम पत्नी वासुदेव लडा हिस्सा- 167/32950 जाति- माहेश्वरी सा. देह खातेदार						
2. किशनलाल पुत्र कानाराम हिस्सा- 15079/65900 जाति- माली सा. मकराना खातेदार						
3. गजेन्द्र पुत्र किशनाराम हिस्सा- 1/4 जाति- माली सा. मकराना खातेदार						
4. छोटीदेवी पत्नी चन्द्राराम हिस्सा- 167/32950 जाति- जाट सा. नगंवाडा खातेदार						
5. नर्बदादेवी पत्नी रामेश्वरलाल हिस्सा- 167/32950 जाति- जाट सा. टोडास खातेदार						
6. भागूराम पुत्र किशनाराम हिस्सा- 1/4 जाति- माली सा. मकराना खातेदार						
7. मीरादेवी पत्नी कुनाराम हिस्सा- 589/65900 जाति- जाट सा. जसराना खातेदार						
8. मोहनीदेवी पत्नी भंवरलाल हिस्सा- 43/65900 जाति- जाट सा. चारणवास खातेदार						
9. राधेश्याम शर्मा पुत्र गिरधारी लाल हिस्सा- 327/13180 जाति- ब्राह्मण सा. भीमा तह. दांतारामगढ़ जिला सीकर खातेदार						
10. राधादेवी पत्नी किशनलाल हिस्सा- 3361/16475 जाति- माली सा. मकराना खातेदार						
11. वर्षा पत्नी अश्विनी लडा हिस्सा- 67/13180 जाति- माहेश्वरी सा. देह खातेदार						
12. सन्तोषदेवी पत्नी नरेश हिस्सा- 21/32950 जाति- जाट सा. चारणवास खातेदार						
13. सुरेशशर्मा पुत्र नटवरलालशर्मा हिस्सा- 279/65900 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार						
14. सुवालाल पुत्र नानकराम चौधरी हिस्सा- 279/65900 जाति- जाट सा. मोखमपुरा जिला जयपुर खातेदार						
15. सीताराम पुत्र रामनारायण उपाध्याय हिस्सा- 223/65900 जाति- ब्राह्मण सा. फोगडी तह. डीडवाना खातेदार,						
खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
287	6.5900	चाही 2	3.3700	165.13		
		जाव 2	3.2200	80.50		
कुल खसरे - 1	6.5900		6.5900	245.6300		
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।						

प्रश्नगत ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 287 रकबा 6.59 हैक्टर में प्रतिवादी का अन्य सहखातेदारों के साथ संयुक्त रूप से हिस्सा दर्ज चला आ रहा है जिसमें से प्रतिवादी ने 0.3056 कृषि से गैर कृषि कार्य हेतु भूमि को बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के उपयोग में लिया है। प्रतिवादी का अनुपस्थित रहना ही अपने आप में



स्वच्छण्ड अधिकारी


साबित है कि प्रश्नगत भूमि में उपरोक्त भूमि को बिना सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये अकृषि प्रयोजन प्रयोग में लिया है तथा आवासीय कॉलोनी एवं जोधपुर के पत्थर की कटींग का कार्य कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उपरोक्त भूमि राजकीय दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने हेतु वाद डिक्री पाया गया।

आदेश

ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 287 रकबा 6.59 हैक्टर किस्म बारानी चाही द्वितीय जाव द्वितीय में प्रतिवादी के हिस्से में से 0.3056 हैक्टर भूमि (तहसीलदार कुचामनसिटी के यहाँ प्रस्तुत 90 A में दर्शित भूमि) को राजकीय खाते में दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं, तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

आदेश आज दिनांक 11.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।




(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाका दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी
बड़जलास : बाबूलाल जाट (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या 13/2020 {RCMS 2020/00027}
वादी

मुकाम : कुचामन सिटी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम


प्रतिवादी

1. कुसुम पत्नी वासुदेव लड़ा जाति माहेश्वरी निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
दावा :- अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-बरू राज पैरोकार हाजिरी
मिनजानिब मुदई रू-बरू श्री मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि
ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 287 रकबा 6.59 हैक्टर किस्म बारानी चाही द्वितीय जाव
द्वितीय में प्रतिवादी के हिस्से में से 0.3056 हैक्टर भूमि (तहसीलदार कुचामनसिटी के यहाँ प्रस्तुत
90 A में दर्शित भूमि) को राजकीय खाते में दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाते
हैं, तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित
किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निज मुबलिग बाबत..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह....
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक को 11.10.2021 को जारी की
गई।



दस्तखत
ओहदा
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट: इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो
या नहीं, दर्ज करना चाहिए